प्रॉपर्टी

जिहाद

via

लव जिहाद

हिन्दू की प्रॉपर्टी हथियानेका जरिया हिन्दू की ही बेटी

क्या आप की बेटी सुरक्षित है?

सूची

पैतृक संपत्ति में अधिकार में 'रोड़ा' बन रहा धर्म परिवर्तन, कोर्ट पहुंची महिला

क्या हमारे फिल्मों के कारण गलत पात्र से असफल प्रेम विवाह बढे हैं?

मतदान की उम्र 18 है तो धर्म परिवर्तन की उम्र भी इससे कम नहीं होनी चाहिए।

यह कथा वास्तव में होते कितनों ने देखी है ?

पोस्ट लंबी है, विषय भी छोटा नहीं है - आप की बेटी, आप का घर !

पैतृक संपत्ति में अधिकार में 'रोड़ा' बन रहा धर्म परिवर्तन, कोर्ट पहुंची महिला



(नवभारत टाइम्स, जून 7, 2017, 10:57 AM)

http://navbharattimes.indiatimes.com/metro/delhi/other-news/in-court-can-a-woman-claim-property-after-conversion/articleshow/59018151.cms

नई दिल्ली

किसी महिला का पैतृक संपत्ति से अधिकार क्या सिर्फ इस वजह से खत्म हो जाता है कि उसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया है? राजधानी में एक अदालत इस सवाल का सामना कर रही है, जहां 33 वर्षीय एक महिला ने अपने मृत पिता द्वारा खरीदी गई

संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर अदालत में केस दायर किया है। महिला के दो भाइयों ने कहा है कि उनका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।

वर्ष 2011 में पहले पति की मृत्यु के बाद महिला ने 2013 में एक मुस्लिम से शादी की थी और उसके बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। महिला ने अदालत से मांग की है कि वह उन्हें पूर्वी दिल्ली के शाहदरा, अशोक नगर में संपत्ति की एक तिहाई मालिक घोषित करे।

उनके भाइयों ने हालांकि कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद वह एक हिंदू परिवार की संपत्ति पर किसी तरह के अधिकार का दावा नहीं कर सकतीं।अतिरिक्त जिला जज रविंदर सिंह ने इस मामले में सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की है।

ऐडवोकेट अमित कुमार के जरिये दायर अपने केस में महिला ने कहा कि उसके भाइयों ने उसके साथ छल किया और उनके हिस्से की संपत्ति जाली दस्तावेज तैयार कर अपने नाम करा ली। उन्होंने कहा कि जब उनके पिता और माता की क्रमश: 2010 और 2008 में मृत्यु हुई, तो उनके तीनों बच्चे उस वक्त करीब 20 लाख रुपये मूल्य की अविभाजित संपत्ति के संयुक्त स्वामी थे।

महिला का दावा है कि वर्ष 2012 में उनके भाई संपत्ति को तीन बराबर हिस्सों में विभाजित कराने के बहाने उन्हें सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर ले गए थे और उन्होंने उनपर भरोसा कर दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए थे।

क्या हमारे फिल्मों के कारण गलत पात्र से असफल प्रेम विवाह बढे हैं?

बवालियों के हेतु यहाँ पहले ही साफ़ कर दूँ कि मैं प्रेम विवाह का विरोधी नहीं हूँ. मेरी अपनी बहनों के भी प्रेम विवाह हुए हैं और हालाँकि हिन्दुओं से ही हुए हैं, हर बहनोई की जाति हम से अलग है. कोई विरोध नहीं. न तब न अब, सभी प्रेम और सौहार्द से हैं. मेरे एक स्व. चाचाजी ने भी प्रेम विवाह किया था. १९८० में सत्तर साल की उम्र में स्वर्गवासी हुए. चाची जी दो साल पहले ९० पार कर के चली गयी. यह बताने का कारण इतना ही है प्रेम विवाह को मेरा किसी भी तरह का विरोध नहीं, बेकार बवाल न काटें.

शिक्षा - नौकरी के कारण जब समाज में स्त्री पुरुषो के बीच व्यवहार बढेगा, प्रेम विवाह की संभावनाएं बढेंगी. इसका मैं विरोध नहीं कर रहा. लेकिन जहाँ सरासर गलत पात्र से मास लेवल पर आकर्षण पैदा किया जाता है वो भी एक मासूमीयत का मुखौटा ओढ़कर, वहां उसके खिलाफ सामाजिक आन्दोलन आवश्यक है.

हमारी फिल्मों के जरिये यह काम बड़े सन्निष्ठ ढंग से हो रहा है यह मेरा कहना है. आप खुद ही याद कीजिये. असफल प्रेम विवाहों में लड़की का अंध समर्पण ज्यादा होगा. क्या देखा उस लडके में जो घरवालों से लड झगड़ कर सम्बन्ध तोड़ दिए ?

देश जब से आज़ाद हुआ है तब से आज तक, याद कीजिये अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर, कितने प्रेम विवाह उन्हें याद हैं और उनमें से कितने गलत पात्रों से होने के कारण असफल रहे ? ऐसा नहीं है कि अपने अरेंज्ड मैरिज से सभी खुश ही होंगे, लेकिन सफल असफल के बीच का फर्क सभी को पता होता है और असफल प्रेम विवाह के

कारण भी सभी को पता होते हैं. खुद ही जाँचिये, आधी आबादी के बर्बादी में बॉलीवुड के वामिस्लामीकरण की कितनी भूमिका है.

गलत पात्र क्या होता है मेरी राय में यह भी स्पष्ट कर दूँ. ऐसा व्यक्ति जो किसी भी हिसाब से योग्य नहीं माना जाएगा अगर नजर को प्रेम पीलिया न हुआ हो. जाति धर्म को एक मिनट बाजू भी रखें तो भी किसी भी व्यावहारिक आधार पर यह सम्बन्ध किसी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा. इन शोर्ट, कोई भी माँ - एक आधुनिक एजुकेटेड महिला भी अपनी बेटी के लिए किसी भी हालत में ऐसा पति नहीं चाहेगी उसे गलत पात्र कह सकते हैं.

बड़ा विषय है, इतनी सी पोस्ट में समाप्त होने से रहा. यह कुछ प्रारम्भिक पोस्ट्स तो आप को भी अपने अपने विचार लिखने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास है. काम अकेले का नहीं है, किसी को तो शुरूआत करनी ही होगी, सो मैं कर रहा हूँ. सभी राष्ट्रवादी thought leaders और ओपिनियन मेकर्स से इस अभियान में सहयोग की अपेक्षा कर रहा हूँ.

आप भी इस विषय का संज्ञान लें, इसपर लिखें, मित्रों से यह पीडीएफ़ शेयर करें, इसे व्यापक जनजागरण में परिवर्तित करना ही होगा.

मतदान की उम्र 18 है तो धर्म परिवर्तन की उम्र भी इससे कम नहीं होनी चाहिए।

कुछ अटपटी लगी हो बात तो समझा देता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका अर्थ विधर्मी समझ रहे हैं। समझने की बारी हमारी है ।

क्या आप को पता है कि भारत में एक मुस्लिम लड़की के लिए यौवन में आना उसका निकाह कराने के लिए काफी है ? क्या आप जानते है कि यह कानूनन वैध है ? मतलब मुस्लिम लड़की अगर 18 से कम है लेकिन यौवन प्राप्त कर चुकी हो तो उसके साथ निकाह के बाद बनाया शरीर संबंध कानूनन बलात्कार नहीं है ।

अगर अप समझते हैं कि इससे आप का क्या ताल्लुक, वे जो चाहे करें, तो एक अलग मसले पर जरा नजर डालिए । अगर गैर मुस्लिम लड़की भी मुस्लिम बन जाये और निकाह कर ले तो उसपर यही बातें लागू होती हैं । याने 14 से 18 तक हर गैर मुस्लिम लड़की । आप की बहन बेटी भी हो सकती है ।

बुजुर्गों से पूछिए, 15 - 16 बहुत घातक समय माना जाता है यौवन का । आप भी कभी इस उम्र के रहे होंगे । याद करिए, बहुत कच्ची लेकिन बहुत संस्कारक्षम उम्र होती है । अब कुछ पहचान की लड़कियोंके किस्से याद करें जो घर से भागे हों या प्रेम में तड़पे हों। क्या उम्र थी पहले पहले प्यार की ?

हाल ही बंगाल से लौटा वहाँ जमीनी काम करनेवाले लोगों से बातें की तो 15-16 ही सब से खतरनाक उम्र बताई गयी । आप का भी अनुभव जानना चाहूँगा।

लड़की भाग कर आती है तो सब से पहले उसे मुसलमान बनाया जाता है बाद में निकाह पढ़ाया जाता है । अब उसके साथ लड़के का शरीर संबंध कानून वैध है, क्योंकि वो भी मुसलमान बन चुकी है । न होती तो बलात्कार का केस बनता ।

अब आप समझ गए होंगे धर्म परिवर्तन के लिए कम से कम 18 की उम्र मर्यादा क्यों हो । अगर 18 से कम उम्र में आप अपना लोकप्रतिनिधि चुनने के काबिल नहीं माने जाते तो क्या उससे कम उम्र में वो भी बिलकुल कच्ची उम्र में आप को धर्म परिवर्तन के लिए काबिल माना जाना सही है ?

हमें अपने भाजपा सांसदों तथा विधायकों पर दबाव लाना होगा कि हिन्दू वोटों से जीते हो, हिन्दू की बहन बेटियों के सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश ने तुम्हें जिताया है। अब आनेवाले चुनावों में यह मुद्दा संसद में पारित करवा दो, इसे 370 या मंदिर जैसा मत लटकाओ, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षितता अभी जरूरी है ! इस कानून का संसद में पेश हो कर पारित होना उनके आनेवाले वि स चुनाओं से जोड़ा जाये तो ही इनकी आँखें खुलेंगी।

वैसे इसका विरोध करना आसान नहीं है । क्या कहके विरोध करेंगे, लव जिहाद आस्था का विषय है ?

सहमत हैं तो इस पीडीएफ़ फ़ाइल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिये, whatsapp कीजिये, भाजपा कार्यकर्ताओं को भेजिये और उनके पीछे पड़ जाइए । देश में एक तो कानून हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करनेवाला हो !

यह कथा वास्तव में होते कितनों ने देखी है ?

एक मुझे बताई गयी, जिसे सुनकर लगा कि यह तो एक कार्यपद्धति है, केवल एक जगह की एक कथा नहीं हो सकती ।

नाम परिचय आदि न देने की बाध्यता है इसलिए बस कहानी सुनें।

एक सधन घर की बेटी । एक छोटा भाई । पिता उघमी, सुविघ माता शहर के नामचीन कॉलेज में अध्यापिका। बेटी घर की लाड़ली। बेटा भी, कोई भेदभाव नहीं ।

घर का वातावरण सेक्युलर । सब धर्म समान, ईश्वर अल्ला तेरो नाम । जैसे अक्सर ऐसे घरों में होता ही है । छोटा परिवार सुखी परिवार।

यहाँ हुआ यूं कि केबल वाले भायजान ने लड़की से कनेक्षन विशेष जोड़ लिया। कानूनन बालिग थी, एक दिन घर से बाहर निकली तो लौटी नहीं । कहीं से फोन किया कि सकुशल हूँ, निकाह कर लिया है, मेरी चिंता न करें।

माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, कोशिश तो की लेकिन पता नहीं मिला । फिर जैसे इस तरह कई हिन्दू घरों में होता है, चुप्पी साध ली गई । वैसे बंगलो टाइप में रहते थे और बहुत सोशल न थे तो बहुत पूछ ताछ भी न हुई ।

कुछ महीनों बाद एक रविवार को लाड़ो लौटी अपने शौहर और ससुरालवालों के साथ । रिवाज के अनुसार फूला पेट पति के पराक्रम का बखान कर ही रहा था। माँ बाप हकके बकके थे ही , और भी हकके बकके रह गए जब जबर्दस्ती के जमाई और ससुरालवालों ने कहा कि हमें आप की संपत्ति में इसका हक दे दीजिये। साथ में एक वकीलमियां भी आए थे।

पिता ने जैसे तैसे खुद को संभाला और दूसरे दिन आने को कहा। बेटी घर आई थी तो कहा रात रह लें । बेटी मान गयी, ससुराल वालों ने एतराज किया लेकिन पिता जिद पर आए तो उन्होने इस बात पर तलाक तलाक तलाक देने की बात नहीं की, संपत्ति का मामला जो था।

रात में पिता कुछ लोगों से मिले जिन्होने पहले कुछ खरी खरी सुना दी, लेकिन मौके की नजाकत समझ कर सहायता कर दी। डीटेल मायने नहीं रखते, बस इतना समझ लीजिये कि ससुरालवालों ने महसूस किया कि मछली सोची थी उस से खूंखार निकली, और जान सब को प्यारी ही होती है, क्या नहीं ?

बेटी का पुनर्वसन हुआ इतना बताया, डिटेल्स मैंने पूछे नहीं क्योंकि बताने को कोई उत्सुकता नहीं दिखाई गयी । एक बात समझ में आई कि सोच समझकर, घरबार की माली हालत देखकर चारा डाला गया था। नसीब की बात थी कि सही लोगों से परिचय था। ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि यह परिचय होता, उनकी जैसी ही स्थिति कई लोगों की है, वे शायद लूटे भी जाते होंगे ।

ये घर देख-भाल कर लड़की को फंसाना, फिर गुम करा देना और प्रेग्नंट होने के बाद ही ऐसे वक्त लाना कि प्रेग्नंसी से निजात पाना भी दिक्कत हो, संपत्ति में हिस्सा मांगना, उसके लिए साथ में लोग लाना, वकील भी ले आना - सब एक well rehearsed कार्यपद्धति सी लग रही है ।

नाम पता मुझे बताया नहीं गया ना मैंने पूछा । चाहे तो इसे काल्पनिक कह लीजिये । लेकिन आप ने यही कार्यपद्धति से घटती घटना देखी हो तो कमेन्ट में लिखिए जरूर। हाँ, निजता का सम्मान करें, किसी का भी नाम कृपया न लिखें । शेयर तो आप करेंगे ही !

पोस्ट लंबी है, विषय भी छोटा नहीं है - आप की बेटी, आप का घर।

कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसका समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता ही है । हर समाज को चाहिए कि यह होनेवाले असर को समझ लें, उसके प्रभाव को, होनेवाले फायदे को तथा नुकसान को भी नाप लें और उस हिसाब से समाज में पर्याप्त जनजागरण करें । समर्थन हो या विरोध; लेकिन जनसामान्य तक यह कानून के प्रभाव को पहुंचाना और सामाजिक जागृति लाना यह आवश्यक है ।

हिन्दू की पैतृक संपत्ति में बेटी के हिस्से को लेकर कानून में जो सुधार किया गया है उसका मुसलमान लव जिहाद के लिए गलत उपयोग कर रहे हैं यह किस्से सामने आ रहे हैं । शर्म के मारे ऐसे माँ बाप चुप रहे जाते हैं और नुकसान सह जाते हैं ।

इस बात पर कल एक पोस्ट क्या लिखी, जिस तरह से चौतरफा प्रतिसाद मिला उससे यही साफ साफ दिख रहा है कि मैंने सुना हुआ किस्सा किसी की गढ़ी हुई कहानी नहीं थी बल्कि यह वाकई एक सोची समझी कार्यप्रणाली के तहत हिन्दू समाज पर हमला किया जा रहा है । पता नहीं कितने अपनी बात लिखे बगैर रह गए लेकिन अपनी ही कहानी का प्रतिबिंब उस पोस्ट में देख रहे थे।

इस पोस्ट का मूल विषय है कानून का सामाजिक प्रभाव । हिन्दू के अलावा हर किसी धर्म का समाज कानून के हर पहलू पर सोचता है और अपनी तरह से उसमें बदलाव के लिए lobbying करता है - जब कभी ऐसा कानून आए तो । शाहबानों या तीन तलाक पर मुसलमानों का बवाल तो आप देख ही रहे हैं, 1986 में महाराष्ट्र में इच्छामृत्यु विधेयक लाया गया था तो चर्च ने भी कम बवाल काटा नहीं था। बाकी हर समाज के

बारे में लिखकर बात भटकाने की इच्छा नहीं है । मुद्दा यही है कि हिन्दू ही इस मामले में अंधा हो जाता है या फिर उसे देखने दिया नहीं जाता ।

क्या हिन्दू हितों की ठेकेदारी करते राजनैतिक पक्षों की यह ज़िम्मेदारी नहीं कि ऐसे क़ानूनों का डीटेल में अध्ययन करें, उनके दीर्घकालिक परिणामों के प्रति जनजागरण करें ? क्या आप लोग मुसलमानों के इरादों से नावाकिफ हैं ? क्या लव जिहाद आप के लिए बस एक चुनावी मुद्दा है या क्या हिन्दू ही आप के लिए वो उपेक्षित खंडहर मंदिर का जागृत देवता है जिसे केवल चुनाव के वक्त नमस्कार करने आते हैं आप लोग ? प्रसादी पा ली, कपाट बंद अगले चुनाव तक, और चाभी अपने ही जेब में ? मंदिर के बाहर एक बोर्ड गाड दिया - ये संपत्ति हमारे पाल्टी की है, इसमें घुसनेवालों का कानूनी इलाज किया जाएगा !"

इसके लिए खोजी बुद्धि के समर्पित अधिवक्ताओं की आवश्यकता होती है । आज एक व्यावहारिक बात यह भी है कि हिन्दुत्व की लड़ाई लड़नेवालों पे दबाव बहुत आते हैं। ये पार्टियां या संघटन योगक्षेम की कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाती, जो कि आवश्यक है हिन्दू के लिए । इस्लाम के लिए या इसाइयत के लिए लड़नेवाले मुसलमान या ईसाई वकील पर कोई दबाव नहीं आता, कोई उस से पंगा नहीं लेता। और हिन्दू वकील का कुन्दन चंद्रावत किया जाता है ।

आज की तारीख में यह जरूरी है कि ऐसे कानून में अगर यह सेंध है जिसका विधर्मी गलत फायदा उठा रहे हैं तो उसपर जनजागरण हो और इस सेंध को बंद किया जाये । मुसलमान तो ऐसे लूपहोल पर गिद्ध नजर ही गड़ाये रहते हैं क्योंकि इससे

1 काफिर की बेटी भगाने से उसको नीचा दिखाया जाता है
2 उनसे एक औरत कम हो जाती है जो उनकी संख्या बढ़ा सकती थी वो मुसलमान की तादाद बढ़ाने में निचोड़ी जाएगी
3 काफिर की जायदाद भी आप हड़प सकते हैं बिना मेहनत के

सवाब ही सवाब, क्या नहीं ? !

हिंदुवादी पार्टियां ऐसे मामलों को ले कर कब तक शुतुरमुर्ग बनकर सेक्युलरिज़्म की रेत में सर घुसाए रहेंगी ?

ठीक है, जब जागे तब सवेरा ! अब जो चुनाव आ रहे हैं वहाँ हिंदुओं को हिन्दुत्व का झण्डा उठाकर अपने दर पर आनेवाले उम्मीदवारों को यह सवाल पूछना आवश्यक है । न केवल आप के बेटी का सवाल है, आप के घर का भी सवाल है, कोई मोबाइल टपरीवाला फैजलवा पचास जालियों को लेकर आए और आप को कहे अपना घर बेचकर मेरी बीवी का हिस्सा दो - क्या करेंगे आप ? हिस्सा आप की बेटी का नहीं, उसकी बीवी का है, वो उसका हो जाता है क्योंकि अल्लाह के बाद शौहर की आज्ञा पालना यह अल्लाह की ही आज्ञा है । तलाक दिया उसके बाद तो माल उसका, बेटी को लेकर सर फोड़ते रहिए खुदका ।

पूछिए हिंदुवादी राजनेताओं को, क्या करेंगे आप इस कानून का लूपहोल बंद करने को ? घोषणापत्र में यह मुद्दा आना चाहिए । कब तक सेक्युलरिज़्म के नाम पर हलाक किए जाएँगे, यह हमारे survival का प्रश्न है और survival सब से मौलिक मानवाधिकार है । अनुशासन का बहाना नहीं चलेगा चुप्पी के लिए, क्योंकि शीर्ष नेता अविवाहित रहते हैं, कोई बेटी होती नहीं उनकी जिसकी ढाल बनाकर उनकी संपत्ति लूटी जाये ,

उन्हें बेघर, बेदखल किया जाये । They do not have a personal stake. निस्सीम निकोलस तालेब के शब्दों में - they don't have any skin in the game!

बेटी आप की है, घर आप का है । इनको सवाल पूछना जरूरी है । ऐसे हर कानून की समीक्षा होनी जरूरी है, हमारे तरफ से भी विधिज्ञ होने चाहिए जिनकी ज़िम्मेदारी पक्षोने उठानी चाहिए । हिन्दू वोट से ही जीतते हैं तो हिन्दू हित का रक्षण करना भी आप की ज़िम्मेदारी है, इसमें यह बात भी समाविष्ट है । अन्य समाज में यह बात समझी जाती है, हमारे यहाँ तो लगता है इसे जान बूझकर इगनोर किया जाता है ।

क्या आप वाकई हिंदुओं के हितैषी हैं ?

कृपया कोई यह कुत्सित प्रश्न न पूछे कि "और कौन है आप की नजर में ?" आप को पहले ही उत्तर दे रहा हूँ - हिन्दू बहुदेवपूजक है यह तो जानते होंगे आप ? वो पीर चंगाई में तभी जाता है जब अपनों से निराश होता है ।

वैसे, ऐसी भी जरूरत नहीं है, लेकिन हिन्दू बहुदेवपूजक हैं यह खयाल रहे। अलख निरंजन !

कुछ कहना है तो स्वागत है, शेयर, करने का अनुरोध तो है ही ।अन्य भाषाओं में अनुवाद भी कर सकते हैं तो स्वागत है ।